भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 195
जिसका उत्तर सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाना है।

आत्मनिर्भर पैकेजों के कार्यान्वयन हेतु किया गया व्यय

195. डॉ. ए. चेल्लाकुमारः
श्री प्रद्युत बोरदोलाईः
श्री एम. सेल्वराजः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर पैकेज 1.0,2.0 और 3.0 के घटकों को लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना राजस्व व्यय किया गया है;

(ख) 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कुल बजट अनुमानों के अनुपात में 31 मार्च, 2020 31 दिसम्बर, 2020 और 31 मार्च, 2021 तक आत्मनिर्भर पैकेज 1.0, 2.0 और 3.0 के घटकों को लागू करने के लिए कितना राजस्व व्यय किया गया है; और

(ग) 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कुल बजट अनुमानों के अनुपात में 31 मार्च, 2020 और 31 दिसम्बर, 2020 तक आत्मनिर्भर पैकेज 1.0, 2.0 और 3.0 के घटकों को लागू करने के लिए कितना पूंजीगत व्यय किया गया है?

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से **(ग):** भारत सरकार ने क्रमश: दिनांक 13 मई, 2020 से 17 मई, 2020, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवंबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1.0, 2.0 एवं 3.0 की घोषणा की थी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और कोविड-19 से लड़ने के उद्देश्य से घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज में विभिन्न दीर्घावधिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं, जिनका परिणाम एक समयावधि के बाद दिखाई देगा। मंत्रालय/विभाग को आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के संबंध में घोषित योजनाओं को तैयार करने, आवश्यक अनुमोदन लेने और बजट अनुमान में प्रदान की गई निधि से खर्च को पूरा करने और जहां कहीं भी आवश्यक हो, संशोधित अनुमान में अतिरिक्त निधि मांगने के लिए कार्य सौंपा गया है।

******